संख्या-126 /2026/2419/26-3-2026-1492118

प्रेषक,

चन्द्र कुमार मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

**समाज कल्याण अनुभाग-3** **लखनऊः दिनांकः 28 सितम्बर, 2026**

**विषयः- एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, बानपुर-ललितपुर के संचालन हेतु मंत्रालय स्तर से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजनान्तर्गत निर्गत धनराशि रू0 94.00 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-143/ज0जा0वि0/ 2026-27 दिनांक 01.09.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, बानपुर - ललितपुर की फर्नीचर व्यवस्था हेतु अनुदान संख्या-81 के पूंजीगत मद के लेखाशीर्ष 4225-02-796-01-119-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 1150.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 94.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने व स्वीकृत धनराशि को सम्बन्धित विद्यालय के खाते में अन्तरित करने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय, बानपुर - ललितपुर की फर्नीचर व्यवस्था हेतु अनुदान संख्या-81 के पूंजीगत मद के लेखाशीर्ष 4225-02-796-01-119- प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (केन्द्रांश 100/रा. 00)-24-वृहद निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि रू0 1150.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 94.00 लाख (रूपये चौरानबे लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने व स्वीकृत धनराशि को सम्बन्धित विद्यालय के खाते में अन्तरित करने की अनुमति पर श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा उक्त विद्यालय में फर्नीचर क्रय किये जाने का कार्य समयान्तर्गत पूर्ण कराया जाएगा।
(2) समस्त कार्यवाही जेम पोर्टल के माध्यम से की जायेगी।
(3) इस सम्बन्ध में वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों/क्रय सम्बन्धी शासनादेशों की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(4) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो तथा निदेशक, जनजाति विकास विभाग द्वारा सुनिश्चित कराय जाय कि स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
(5) योजानान्तर्गत क्रय की गयी वस्तुओं की सूची एवं उसके सापेक्ष उपभोग प्रमाण-पत्र ससमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) क्रय संबंधी कार्यवाही समय से की जाए जिससे आगामी सत्र में छात्रों को इसका लाभ मिल सके।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 एवं संख्या-11/2025/बी-1-1061/दस-2025 दिनांक 26.09.2025 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा।

(10) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नही है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। प्रश्नगत धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक भारत सरकार/राज्य सरकार की गाइडलाइन्स एवं दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों में यह विशेष रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त योजना के अन्तर्गत आच्छादित सभी मदों /घटकों का उल्लेख स्पष्ट रूप से वित्तीय स्वीकृति में करते हुए SNA को प्रेषित की जायेगी तथा SNA द्वारा विभिन्न स्तरों पर (इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी तक) लिमिट आवंटित की जायेगी तथा वित्तीय स्वीकृति की प्रतिलिपि साइबर ट्रेजरी के वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

(12) समस्त बिलों का परीक्षण इम्प्लीमेंटिंग ऐजेंसी एवं जनपदीय एडमिन द्वारा किया जायेगा, अत: SNA स्तर पर पुन: परीक्षण की आवश्कता नहीं होगी। SNA द्वारा मात्र समेकित बिल का अग्रसारण किया जायेगा। आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार बिल साइबर ट्रेजरी को अग्रेषित किये जायेंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये- 94,00,000/- (रुपये चौरानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 लेखाशीर्षक-4225- 02-796-01-0119-24- वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-126-X-2026-27-दिनांक: 15-09-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
CHANDRA KUMAR MISHRA
Date: 28-09-2026 16:05:29

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।

पृ0 संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी )प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा )प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- जिलाधिकारी, ललितपुर।
7- जिला समाज कल्याण अधिकारी, ललितपुर।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
10-निदेशक, एन0आई0सी0।
11-गार्डफाइल

(चन्द्र कुमार मिश्र)
अनु सचिव।